176

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1738—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03-04-2012 के द्वारा न्यायालय अपर लेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 265/अ—6/2011—12.

....

श्रीमती गीतादेवी पुत्री रामनाथ
पत्नी मदन गोपाल त्रिपाठी
निवासी ग्राम वेला तहसील गुढ़
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

रामनाथ पिता रामप्रताप शुक्ला
निवासी ग्राम जोगिनहाई तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

....

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 एन0 साहू अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—04—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान ग्राम जोगिनिहाई पटवारी हल्का सुरसा 14 नामांतरण पंजी वर्ष 2009—10 के अनुकमांक 13 पर अंकित पटवारी प्रविष्टि दिनांक 10.6.10 को दिनांक 23.6.10 को प्रमाणित कर दिया। इसी

प्रमाणीकरण/आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा आदेश दिनांक 14.11.11 को प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया इससे परिवेदित होकर अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया उनके द्वारा यह उल्लेख करते हुये निगरानी अग्राह कर दी कि इस न्यायालय को प्रकरण सुनने की अधिकारिता नहीं है। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानीकर्ता द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी का अवलोकन किया अनुकमांक 13 पटवारी हल्का बुढ़िया ने ग्राम जोगिनिहाई की आराजी खसरा 374, 385/2, 386/2, 389/2 कुल किता 4 कुल रकवा 2.205 है0 जिसके भूमिस्वामी रामनाथ तनय प्रताप निवासी जोगिनिहाई है। भूमिस्वामी रामनाथ ने रजिस्ट्री कमोंक 218 दिनांक 15.4.10 द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री 8,10,000/–रूपये श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री मदन गोपाल त्रिपाठी निवासी बेला तहसील गुढ़ के नाम करा कर कब्जा देखल दे दिया है। इश्तहार जारी कोई आपत्ति नहीं तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान ने इसी प्रविष्टि को प्रमाणित किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि पंजी के अवलोकन से त्रुटियां पाई गई :–

1– **पटवारी हल्का सुरसा 14 की नामांतरण पंजी में पटवारी हल्का बुढ़िया कमांक 12 द्वारा अनुकमांक 13 पर पृविष्टि की गई है।**

2– **पंजी में जो इस्तहार चस्पा किया गया है उसमें रामनाथ का अंगूठा निशान लगा है जबकि अपील मेमों में बकालतनामा एवं अन्य कागजातों में रामनाथ के हस्ताक्षर बने है।**

3– **रजिस्ट्री की नकल नामांतरण पंजी के साथ संलग्न नहीं है।**

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला

रीवा द्वारा पंजी का अवलोकन करने पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम जोगिनिहाई की नामांतरण पंजी का अवलोकन करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गये है, उससे मैं सहमत हूँ। अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये है कि वह उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण करने के पश्चात आदेश पारित करने का जो आदेश दिया गया है वह उचित प्रतीत होता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 86/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर